न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
जमानत आवेदन संख्या–94 / 2026
तरियानी थाना कांड संख्या–297 / 2023.
सरकार बनाम् संदीप कुमार
अंतर्गत धारा–356, 379, 392, 411 भा0द0वि0
सी.एन.आर.नं0–BRS001001474 2026

संदीप कुमार, पिता–स्व0 बिगु महतो, उम्र करीब–21 वर्ष,
साकिन–सोनवर्षा, थाना–तरियानी, जिला–शिवहर.....आवेदक।

बनाम्

बिहार सरकार.....विपक्षी।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता –श्री धर्मेन्द्र कुमार / श्री दिलिप कुमार।
बिहार सरकार की ओर से विद्वान लोक अभियोजक –श्री सुरेश राय।

उपस्थितिः दीपक कुमार,
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवहर।
15.06.2026

दिनांक–15.06.2026 **आदेश**

काराधीन अभियुक्त–संदीप कुमार, जिन्हें तरियानी थाना कांड कांड संख्या–297 / 2023, अंतर्गत धारा–356, 379, 392, 411 भा0द0वि0 के अपराध के संदर्भ में दिनांक–11.05.2026 से न्यायालय में आत्मसमर्पण के बाद से न्यायिक अभिरक्षा में होना अभिकथित है कि ओर से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र कुमार / श्री दिलिप कुमार के द्वारा संचालित किया गया है, जिस पर उनको एवं अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक, श्री सुरेश राय को सुना गया।

अभियोजन का मामला प्राथमिकी के अनुसार संक्षेप में यह है कि दिनांक–26.12.2023 को समय 02:30 बजे सूचिका मुनीता देवी अपने ग्राम औरा से उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, तरियानी में समूह का रुपया जमा कराने आ रही थी तो पीछे से मोटरसाईकिल सवार दो व्यक्ति औरा पंचायत भवन के नजदीक आया तथा पर्स में रखे दो समूह का रुपया, जिसमें चंदा समूह का दस हजार रुपया तथा सपना समूह का दस हजार रुपया एवं रेडमी कंपनी का मोबाईल, जिसमें एयरटेल का सीम नं0–7250623424 तथा समूह का रजिस्टर जो पर्स में रखा था, झटपट छीन लिया तथा तरियानी की तरफ वाला रोड से भाग गया। मोटरसाईकिल लाल रंग का था, जिसका नम्बर सूचिका नहीं देख पाई। इसी आधार पर कांड संस्थित किया गया है।

जमानत आवेदन को प्रचालित कर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–213 / 2024 श्रीमान् के न्यायालय से खारिज किये जाने के बाद आवेदक को माननीय उच्च न्यायालय, पटना में कि0मि0नं0–81004 / 2024, दिनांक–18.01.2024 के आदेश से जमानत की सुविधा प्रदान की गई थी, किन्तु आवेदक ससमय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। तत्पश्चात् आवेदन दिनांक–11.05.2026 को विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, शिवहर के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर नियमित जमानत की प्रार्थना किया जो सुनवाई उपरांत दिनांक–11.05.2026 को खारिज किया गया, जिसके पश्चात् आवेदक की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है और न ही लंबित है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। प्राथमिकी अज्ञात के विरूद्व दर्ज करायी गई है। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है। आवेदक का नाम अनुसंधान के क्रम में प्रस्तुत वाद में आया है। आवेदक के पास से कोई भी सामान की बरामदगी नहीं हुई है। ग्रामीण गंदी राजनीति के कारण आवेदन को झूठे, मनगंढ़त आरोप लगाकर इस वाद में फंसा दिया गया है। आवेदक दिनांक–11.05.2026 से न्यायालय में आत्मसमर्पण के बाद से न्यायिक अभिरक्षा में कारा में है। आवेदक अभियुक्त सक्षम जमानत बंध पत्र देने को तैयार है तथा उसके पलायन की कोई संभावना नही है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान की जाये।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक अभियुक्त के जमानत का विरोध करते हैं।

लगातार / –

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।

जमानत आवेदन संख्या–94 / 2026

तरियानी थाना कांड संख्या–297 / 2023.

सरकार बनाम् संदीप कुमार

अंतर्गत धारा–356, 379, 392, 411 भा0द0वि0

सी.एन.आर.नं0–BRSO010014742026

दिनांक–15.06.2026 **–2–**

उभय पक्षों को सुना तथा प्राथमिकी एवं वाद से संबंधित मूल अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी एवं मूल अभिलेख पर उपलब्ध वाद दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है। प्राथमिकी अज्ञात के विरूद्व दर्ज करायी गई है। आवेदक अभियुक्त का नाम प्रस्तुत वाद में अनुसंधान के क्रम में अप्राथमिकी सहअभियुक्त–राजेश कुमार (जिनका जमानत माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा कि0मि0नं0–56607 / 2024, में दिनांक–19.08.2024 को पारित आदेश के द्वारा प्रदान की गई है) के संस्वीकृति बयान के आधार पर प्रस्तुत वाद में आया है, जिसका उल्लेख वाद दैनिकी की कंडिका–57 पर वर्णित है। आवेदक अभियुक्त पर एक अन्य अप्राथमिकी सहअभियुक्त के साथ मिलकर सूचिका से समूह का रुपया एवं मोबाईल छीन लेने की बात कही जाती है, लेकिन विशिष्ट रूप से कोई आरोप नहीं है। वाद दैनिकी की कंडिका–86 पर वर्णित तथ्यों के अवलोकन से विदित होता है कि थाना अभिलेख में आवेदक अभियुक्त के विरूद्व इस कांड के अलावे पूर्व से कोई अन्य मामला दर्ज नहीं है। मूल अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्व पूरक आरोप–पत्र संख्या–125 / 2025, दिनाक–31.05.2025, धारा–392, 411 भा0द0वि0 में समर्पित किया गया है। मूल अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त को पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा कि0मि0नं0–81004 / 2024, में दिनांक–18.01.2025 को पारित आदेश के द्वारा अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की गई थी, लेकिन आवेदक अभियुक्त ससमय पर सम्बद्व विद्वान न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उक्त अग्रिम जमानत सुविधा का लाभ नहीं ले सके। आवेदक अभियुक्त दिनांक–11.05.2026 से न्यायालय में आत्मसमर्पण के बाद से न्यायिक अभिरक्षा में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, आवेदक अभियुक्त कारावधि एवं अन्य को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त–संदीप कुमार को मो0–10,000 / –(दस हजार रूपया) के दो समान प्रतिभू एवं जमानतदार दाखिल करने पर अंतर्गत धारा–480(3)बी0एन0एस0एस0 के शर्त के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश प्रदान किया जाता है कि वे आरोप गठन होने तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे।

लेखापित एवं शुद्विकृत

ह0 / –

प्रधान सत्र न्यायाधीश
शिवहर।
15.06.2026